

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का वासोड

बनाम

अप्रार्थी- जाधुदास / श्रीसाधुदास निवासी सिद्धिपास अन्तर्गत धारा 91 मूराजाल अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 87 / 2018

निर्णय दिनांक 16.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का वासोड ने अप्रार्थी का निम्न टी पी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद सिद्धिपास के खसरा नम्बर 302 में किस्म 91.3 मेंसे रकबा 1.04 हेक्ट. भूमि में मूंग लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्तु वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जाधुदास से नोटिस तामीर होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री ने दिनांक को उपरिभूत होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम सिद्धिपास खसरा नम्बर 302 में किस्म 91.3 मेंसे रकबा 1.04 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6/- रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमण रकबा 1.04 हेक्ट.भूमि के 6.24 रुपये लगान का 50 गुणा 312 /- अक्षर तीन सौ बरस रुपये बतौर जुमाना वसूल किया जाता है। जुमाना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशः मांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से अतिक्रमण से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर